तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रकरण संख्या :— 118/2025 शकुन्तला देवी बनाम तहसीलदार प्रार्थना पत्र अ. धा. 136 राज. भू राजस्व अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.05.2025	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थिया उपस्थित। बहस पत्रावली पर सुना गया। दौराने बहस अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि वाके ग्राम चरणसिंह नगर तहसील गुढागौड़जी जिला झुन्झुनूं में भूमि खाता संख्या 141 के हाल खसरा नम्बर 1, 2, 36, 4 व 5 कुल किता 5 का कुल रकबा 9.09 है0 भूमि अवस्थित है। आवेदिका उक्त भूमि का रिकॉर्डेड सहखातेदार काश्तकार है और रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम अमल दरामद है। राजस्व अधिकारियों की भूल से राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थिया के पति का नाम मीर सिंह गलत दर्ज हो गया जबकि उसका वास्तविक नाम समस्त दस्तावेजों में अमीर सिंह है, जिसे राजस्व रिकॉर्ड में भी दुरूस्त किया जाये। वकील प्रार्थिया को सुना जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात यथा प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, आधार कार्ड, व रिपोर्ट तहसीलदार का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। संलग्न तहसीलदार रिपोर्ट व समस्त दस्तावेजों से प्रार्थिया के पति का नाम अमीर सिंह साबित होता है। अतः बाद अवलोकन पत्रावली प्रार्थना पत्र प्रार्थिया न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। —: आदेश :— प्रार्थना पत्र प्रार्थिया स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार गुढागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम चरणसिंह नगर तहसील गुढागौड़जी जिला झुन्झुनूं में भूमि खाता संख्या 141 के हाल खसरा नम्बर 1, 2, 36, 4 व 5 कुल किता 5 का कुल रकबा 9.09 है0 कृषि भूमि में प्रार्थिया के पति का नाम श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी मीर सिंह की बजाय श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी अमीर सिंह दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जमाबंदी के शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को खुले इजलास सुनाया गया। (हवाई सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.)	